न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 03 जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी **: ममता चौधरी ,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 120 / 2026
सी.आई.एस. नम्बर : 1490 / 2026
सी.एन.आर. नंबर : RJJM010247202026

उदय कुशवाह पुत्र धर्मेन्द्र कुशवाह, आयु 19 वर्ष, निवासी मकान नंबर 78 / 99, राजीव नंगर कच्ची बस्ती, पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर

—— प्रार्थी–अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर, प्रथम।

——अप्रार्थी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023</u>

एफ.आई.आर. नम्बर 912 / 25, पुलिस थाना– मानसरोवर

अपराध अन्तर्गत धारा– 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित–

01. श्री राजेन्द्र कुमावत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से।

02. श्री प्रशांत कुमार कुमावत विद्वान् अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांक– 11.08.2026

01. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–10 जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस दिनांक 06.08.2026 को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

02. प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

03. योग्य अभिभाषक प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से तर्क हैं कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध नामजद एफआईआर नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त से किसी प्रकार का अनुसंधान शेष नही है ना ही किसी प्रकार की बरामदगी होना शेष है। प्रार्थी एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, यदि प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ नही दिया जाता है तो उसका परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध आजीवन कारावास व मृत्यु दण्ड से

दण्डनीय नही है। प्रार्थी/अभियुक्त अदालत हाजा के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। प्रार्थी–अभियुक्त के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी –अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण लंबित होते हुए भी उचित मामलों में जमानत स्वीकार की जा सकती है, अंत में प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा हस्तगत प्रकरण में पूर्व में प्रस्तुत, निस्तारित एवं लंबित जमानत आवेदनों के संबंध में प्रार्थना पत्र के फुटनोट में निम्नानुसार तथ्य प्रकट किए हैं:–

क.सं.	न्यायालय जहां प्रार्थना पत्र पेश किया	जमानत आवेदन संख्या	प्रक्रम (Stage)	विशेष विवरण
1	Nil	Nil	Nil	जमानत प्रार्थना पत्र के अंत में इससे पूर्व में किसी प्रकार का कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच न्यायाल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या अन्य किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करना व लम्बित नहीं होना अंकित किया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र होना तथा इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना अंकित किया है।

05. योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक ने आक्षेपित अपराध गम्भीर प्रकृति के बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

06. मुताबिक तथ्यात्मक रिकार्ड प्रार्थी–अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मु.नं.	अपराध धारा	नतीजा/चार्जशीट	पुलिस थाना
1	74/24	–	चार्जशीट	ट्रांसपोर्ट नगर
2	416/25	305(ए), 331(4) बीएनएस	चार्जशीट	श्याम नगर

07. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी अनिल कुमार ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि कि दिनांक 22.10.25 को दोपहर 2.15 पीएम पर जयपुर से वल्लभगढ गया था दिनांक 23.10.2025 को घर आया तो पीछे का गेट टूटा हुआ मिला, ग्राउंडफ्लोर व प्रथम फ्लोर के सभी ताले टूटे मिले। लोहे की गोदरेज की अलमार से कैश 500 की चार गड्डी, 500 रूपये के 80 नोट, 100 रूपये की तीन गड्डी, 2 बीस रूपये की गड्डी, 1 गड्डी 5 रूपये की 35000 खुल्ले, तीन लाख नौ हजार 500 रूपये सोना 2 चूडी 23 ग्राम, कानों की बाली 3.5 ग्राम 1 नथ 1 सिक्का, 2 ग्राम सोने के नजरिये 4 मोती सोने की चांदपातड़ी, 4 लोंग चांदी की 1.5 केजी, 7 बर्तन, 3 झुन्झुने, 6 जोड़े पायजेब, 30 सिक्के, बच्चों के कंगन, 75 वर्गगज के प्लॉट का असल पट्टा आदि चोरी चला गया।..... आदि। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 912/2025 धारा 331(4), 305 (ए) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रांरभ किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त/प्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का अपराध

प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–10 जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करने पर विद्वान विचारण द्वारा दिनांक 06.08.2026 को खारिज किया गया।

08. बहस उभय पक्ष सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही हस्तगत जमानत आवेदन का निस्तारण किया जा रहा है।

09. केस डायरी के अवलोकन से यह जाहिर है कि अभियुक्त/प्रार्थी पर धारा 331(4), 305(ए) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। इस संबंध में परिवादी द्वारा दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नहीं है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी व अन्य व्यक्तियों के धारा 180 बीएनएसएस के बयानों में भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किए जाने का कथन किया जाना अंकित है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान सीसीटीवी कैमरों व बीटीएस से प्राप्त संदिग्ध मोबाईलों की सीडीआर द्वारा प्राप्त डाटा के आधार पर संदिग्ध आरोपी सूरज मण्डल उर्फ चोटी तथा उदय उर्फ गुन्नू का घटना में संदिग्ध होना पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा प्राथी/अभियुक्त द्वारा दी गई इत्तला अन्तर्गत धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चोरी किया गया सामान उसके साथी सूरज मण्डल तथा सुमना मण्डल के पास होना बताया है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य मुलजिमान सूरजमण्डल तथा सुमना मण्डल की तलाश अदम पतारसी रहने बाबत अंकन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त–**प्रभाकर तिवाड़ी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य Criminal Appeal No. 153 of 2020 निर्णय दिनांक 24 January,2020** एवं **मौलाना मोहम्मद अमीर राश्दी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य Criminal Appeal No. 159 of 2012 निर्णय दिनांक 16 January, 2012** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप तथा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने मात्र के आधार पर जमानत दिए जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी–अभियुक्त की आयु 19 वर्ष है तथा दिनांक 24.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान के अधीन है इसलिये प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः बाद गौर दोषारोपित अपराध के लिए विहित दण्ड की अधिकतम मात्रा, प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि, जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आवश्यक तथ्यों के संबंध में दौरानें बहस उभय पक्ष द्वारा रखे गये तर्को एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर के बाद प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. अतः प्रार्थी–अभियुक्त उदय कुशवाह पुत्र धर्मेन्द्र कुशवाह, आयु 19 वर्ष, निवासी मकान नंबर 78/99, राजीव नंगर कच्ची बस्ती, पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त

(प्रत्येक) विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए का निजी मुचलका मय फोटो एवं 25,000–25,000 रूपये की दो संतोषप्रद सुदृढ जमानतें इस आशय की पेश कर तस्दीक करा दें कि वह प्रत्येक पेशी पर या जब भी न्यायालय तलब करेगा, उपस्थित होगा तथा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तो जमानत पर रिहा किया जावे।

(ममता चौधरी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर, प्रथम

12. आदेश आज दिनांक 11.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता चौधरी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, जयपुर महानगर, प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.12 12:29:04 IST